

पटना विश्वविद्यालय
अभिषद् की बैठक दिनांक 24.02.2016

उपस्थिति

1. डॉ० वाई० सी० सिन्हाद्रि, कुलपति, सभापति के आसन पर
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 2. डॉ० आर० के वर्मा | 3. डॉ० डौली सिन्हा |
| 4. डॉ० जी० के० पिलई | 5. प्रो० खालिद मिर्जा |
| 6. डॉ० सुधाकर प्रसाद सिंह | 7. डॉ० नवीन कुमार आर्य |
| 8. डॉ० खगेन्द्र कुमार | 9. डॉ० अमर नाथ सिंह |
| 10. डॉ० पी० के० पोद्दार | 11. डॉ० शिव जतन ठाकुर |
| 12. डॉ० अशीष कुमार घोष | 13. डॉ० राकेश वर्मा |
| 14. डॉ० अभय प्रकाश | 15. डॉ० पुष्पांजली खरे |
| 16. श्री अब्दुल कय्यूम अंसारी | |

1. दिनांक 17.01.2015 एवं 23.01.2015 को हुई अभिषद् की बैठक के वृत्त की पुष्टि।
Confirmation of the minutes of the Syndicate meetings held on 17.01.2015 & 23.01.2015.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

2. दिनांक 17.01.2015 एवं 23.01.2015 को अभिषद् की बैठक में लिए गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन।
Action taken report on resolutions of the Syndicated meetings held on 17.01.2015 & 23.01.2015.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

3. वर्ष 2016-17 में आय-व्यय पर विचार।
Consideration of Budget on Financial Year 2016-17.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

4. वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 पर विचार।
Consideration of Annual Report of 2014-15.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

5. अनुषद् में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के अनुमोदन पर विचार।

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

6. अभिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2006 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के निगरानी काण्ड सं० – 016/2004 के अभियुक्त श्री विजय कुमार वर्मा, तत्कालीन कुलसचिव, पटना वि० वि० के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश में लिए गये निर्णय पर पुनः विचार।
Reconsideration of the resolution of the Syndicates meeting held on 18.09.2016 in respect of permission granted for prosecution of Sri Vijay Kumar Verma, the then Registrar, P.U., in vigilance case No. 016/2004.

Resolution: Deferred
निर्णय – स्थगित ।

7. माननीय पटना उच्च न्यायालय (Case No.- 23264/2012) द्वारा दिनांक 16.04.2014 को पारित आदेश के आलोक में डा0 कृष्ण कान्त झा को डी0 लिट0 उपाधि प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार।
Consideration of the matter of awarding D.Lit. degree to Dr. Krishna Kant Jha in the light of Hon'ble Patna High Court's order dated 16/4/2014 (delivered in case No.-23264/2012).

Resolution: Deferred
निर्णय – स्थगित ।

8. विद्वत् परिषद् की बैठक दिनांक 03.07.2015, 04.07.2015, 27.10.2015 एवं 23.01.2016 में लिए गये संकल्पों पर विचार।
Consideration of resolutions of the Academic Council meetings held on 3/7/2015, 4/7/2015, 27/10/2015 and 23/1/2016.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

9. अभिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति द्वारा स्वीकृत किया गया डा0 एजाज अली अरशद वि0 वि0 प्राचार्य, उर्दू विभाग पटना विश्वविद्यालय को ग्रहणाधिकार के साथ असाधारण अवैतनिक अवकाश की सम्पुष्टि पर विचार।
Consideration of the matter of sanctioning of extra ordinary leave with Lien already sanctioned, in anticipation of approval of the Syndicate, to Dr. Ejaz Ali Arshad, University Professor of Urdu, Patna University.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

10. अभिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति द्वारा स्वीकृत किया गया डा0 मो0 आलमगीर, एशोसिएट प्रोफेसर, व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य विभाग, पटना विश्वविद्यालय में ग्रहणाधिकार के साथ असाधारण अवैतनिक अवकाश की सम्पुष्टि पर विचार।
Consideration of the matter of sanctioning of extra ordinary leave with Lien already sanctioned, in anticipation of approval of the Syndicate, to Dr. Md Alamgir, Associate Professor of Applied Economics and Commerce, Patna University.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

11. अभिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति द्वारा स्वीकृत किया गया डा0 खालिद मिर्जा वि0 वि0 प्राचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, प0 वि0 वि0 को ग्रहणाधिकार के साथ असाधारण अवैतनिक अवकाश की सम्पुष्टि पर विचार।
Consideration of the matter of sanctioning of extra ordinary leave with Lien already sanctioned, in anticipation of approval of the Syndicate, to Dr. Khalid Mirza, University Professor of Political Science, Patna University.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

12. अभिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति द्वारा डा० नाहिद अहमद, एसोसियेट प्रोफेसर, वनस्पति विभाग, पटना विश्वविद्यालय को स्वीकृत किए गए Sabbatical Leave की संपुष्टि तथा उक्त अवकाश अवधि में उनके वेतन भत्ते पर विचार।
Consideration of the matter of sanctioning of Sabbatical leave already sanctioned, in anticipation of approval of the Syndicate, to Dr. Nahid Ahmad, Associate Professor of Botany, Patna University alongwith the matter of her pay and allowances during the leave.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

13. (A). कुलपति द्वारा प्रो० इन्दीवर मुखर्जी वि० वि० प्राचार्य, अंग्रेजी विभाग, पटना वि० वि० को विदेशी एवं दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय भाषा के प्रारंभ करने हेतु समन्वयक नियुक्त किया गया है। प्रो० मुखर्जी विदेशी भाषा जैसे- फ्रेन्च, स्पेनिश, जापानी, कोरियन, जर्मन, कम्बोडिया आदि तथा दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय भाषा जैसे- तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, पंजाबी आदि की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय में आरंभ करने की संभावना तलाशेंगे। प्रो० मुखर्जी विदेशी एवं दक्षिण भारतीय भाषाओं से संबंधित विभाग की स्थापना तथा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने में पूरा सहयोग करेंगे। निरीक्षण करने का दायित्व भी निभायेंगे एवं

(B) प्रो० ममता दास शर्मा, वि० वि० प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष बंगला विभाग को असमिया (Assamese) एवं बंगाली विषय के Certificate Course, P.G. Diploma Course, Degree Course and P.G. Course प्रारंभ करेगी एवं इन वर्गों का संचालन भी समन्वयक के रूप में करेगी।

(A) Consideration and assent to the Vice-Chancellor's order in respect of appointment of Prof. Indibar Mukherjee, Professor of English, Patna University as Co-ordinator for establishment of the Department of Foreign and Indian (Regional) Languages

(B) Consideration and assent to the Vice-Chancellor's order in respect of appointment of Prof. Mamta Das Sharma, Professor & Head of Bengali, Patna University as Co-ordinator for starting certificate course, P.G. Diploma Course, P.G. Degree Course in Assamese and Bengali languages.

कुलपति के उपर्युक्त दोनों प्रस्तावों पर पुष्टि हेतु विचार।

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

अन्यान्य विषय : अध्यक्ष की अनुमति से

(Any other items with permission of the Chairman)

- (क) वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.02.2016 में लिये गये निर्णयों पर विचार ।
Consideration of the resolution of the Finance Committee held on 10.02.2016.

Resolution: Approved
निर्णय – अनुमोदित ।

- (ख) आगामी दीक्षांत समारोह में गणमान्य व्यक्ति को Honouris Causa देने पर विचार । ।
To confer Honouris Causa to dignataries in ensuing Convocation Ceremony.

Resolution: Resolved to authorize the Vice-Chancellor to take decision (names) in respect of conferring Honouris Causa to the persons concerned.

- (ग) प्रतिकुलपति द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

The following proposals submitted by the Pro-Vice-Chancellor are unanimously accepted.

- (i) पटना विश्वविद्यालय में पूर्व की भांति अभियांत्रिकी संकाय का पुनरुत्थान किया जाए जिसमें उन सभी अभियांत्रिक विषयों की पढ़ाई हो जो वर्ष 1976-77 में होती थी और 1976-77 के बजट में उक्त संकाय के लिए स्वीकृत शिक्षक, तकनीकी एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद को आज भी स्वीकृत माना जाए तथा आगे की कार्रवाई की जाए ।

Consideration to revived of earlier P.U. Engineering Faculty and to start teaching in such branches taught during the year 1976-77 by appointing teaching, non-teaching and technical employees as per sanctioned post shown in the University budget for the year 1976-77 and after completion of further necessary process.

- (ii) पटना विश्वविद्यालय में सभी तकनीकी पदों की रिक्तियों की नियमानुकूल स्थिति तथा उनके भरने हेतु धारा-35(2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार की सहमति हेतु अनुरोध किया जाए ।

The State Govt. be requested to give its assent for filling-up all the technical posts, under the provision enunciated in section 35(2) of the P.U. Act 1976.

- (iii) शिक्षकों के पद पर 31.03.2016 तक की रिक्तियों को भरने हेतु राज्य सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को अनुरोध पत्र दिये जाए ।

The State Govt. and Bihar Public Service Commission be requested to appoint teachers against the sanctioned and vacant posts till 31.03.2016.

- (iv) सी०डब्लू०जे०सी० सं० 7284/15 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के संदर्भ में पटना विश्वविद्यालय में उप-कुलसचिव के वेतनमान के समतुल्य वेतनमान एवं ग्रेड पे पर एक सम्पदा पदाधिकारी (Estate Officer) के पद के सृजन का प्रस्ताव बिहार सरकार के पास प्रेषित किया जाए । साथ ही उक्त वेतनमान एवं ग्रेड पे में एक विधि पदाधिकारी (Law Officer) के पद के सृजन का प्रस्ताव भी भेजा जाए ।

In compliance of Hon'ble Patna High Court order delivered in CWJC No. 7284/15, a proposal for sanctioning of a post of "Estate Officer" in the pay scale equivalent to Dy. Registrar of the University with same grade pay and also on additional post of "Law Officer" in the same pay scale be submitted before the State Govt.

- (v) पटना विश्वविद्यालय को देय परिनियत अनुदान मुक्त करने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए ताकि प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों आदि के सुचारु संचालन सुगम हो ।

The State Govt. be requested to release the Statutory Grant for proper functioning of Laboratories and Libraries etc work of the University.

14. दिनांक 05.03.2016 को होने वाली अनुषद् (सिनेट) की बैठक की कार्य-सूची पर विचार ।

To consider the agenda for the Senate meeting scheduled to be held on 05.03.2016.

अनुषद् (सिनेट) की होने वाली बैठक की कार्य-सूची

1. दिनांक 29.01.2015 को हुई अनुषद् (सिनेट) की बैठक के वृत्त की पुष्टि ।

To confirm the minutes of the Senate meeting held on 29.01.2015.

(परिशिष्ट-1)

2. अनुषद् की बैठक दिनांक 29.01.2015 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन कुल सचिव प्रस्तुत करेंगे।
The Registrar will present action taken report of the Senate meeting held on 29.01.2015.
(परिशिष्ट-2)
3. प्रश्नोत्तर (Interpellation) एक घंटा।
Interpellation one hour.
4. अभिषद् के ओर से
वर्ष 2016-17 का आय-व्ययक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।
..... will present the Annual budget for the year 2016-17 on behalf of the Syndicate for the approval of Senate.
(परिशिष्ट-3)
5. अभिषद् की ओर से वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।
..... will present the Annual Report for the year 2014-15 on behalf of the Syndicate for the approval of Senate.
(परिशिष्ट-4)
6. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अद्यतन संशोधित की धारा 23 (1) (एच) के अन्तर्गत ऐसे चार शिक्षकों का एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार सिनेट के शिक्षक सदस्यों द्वारा सिन्डिकेट के लिए निर्वाचन)।
Election of four Non-teacher member other than teachers, employee and students of the University for the membership of Syndicate by the Non-teacher members of the Senate vide Sec. 23(1)(i) of P.U. Act. 1976 (amended up to date).
7. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 23 (1) (आई) के अन्तर्गत ऐसे चार सिनेट के सदस्यों जो शिक्षक छात्र एवं कर्मचारी से भिन्न हो सिनेट के गैर शिक्षक सदस्यों द्वारा सिन्डिकेट के लिए निर्वाचन।
Election of two teachers for the membership of Academic Council other than Dean, Professor and Head of the University departments by the members of the Senate under provision of Sec. 25(g) of P.U. Act. 1976 (amended up to date).
8. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 25 (जी) के अन्तर्गत दो शिक्षकों जो संकायाध्यक्ष, प्राचार्य या विभागाध्यक्ष न हो का विद्वत परिषद् के लिए निर्वाचन।
Election of two teachers for the membership of Academic Council other than Dean, Professor and Head of the University departments by the members of the Senate under provision of Sec. 25(g) of P.U. Act. 1976 (amended up to date).
9. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 55 (1) के अन्तर्गत ऐसे चार सिनेट के सदस्यों को अभिषद् के सदस्य नहीं है, का वित्त समिति के लिए निर्वाचन।
Election of four members for the Finance Committee from amongst the members of Senate other than the members of Syndicate vide Sec. 55(1) of P.U. Act. 1976 (amended up to date).

10. अभिषद् की ओर निम्नलिखित को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।
..... will present the following rules, ordinances and regulations of different examinations as translated in Hindi language on behalf of the Syndicate for the approval of the Senate.

(परिशिष्ट - 5)

- (क) प्री० पी-एच० डी० रजिस्ट्रेशन टेस्ट के लिए अनुमोदित रूल्स के क्लारुज "इलिजिविलिटि कण्डीशन" में प्रस्तावित संशोधन।
- (ख) प्री० पी-एच० डी० रजिस्ट्रेशन टेस्ट के अनुमोदित रूल्स के क्लारुज "क्वालिफाइंग मार्क्स" में प्रस्तावित संशोधन।
- (ग) पी० जी० डिप्लोमा इन इनटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटस के ऑर्डिनेन्स, रेगुलेशन तथा प्रस्तावित संशोधन।
- (घ) बी० बी० ए०, एल एल० बी० का प्रस्तावित रेगुलेशन तथा ऑर्डिनेन्स।
- (ङ) लॉ में एल एल० एम० (पी० जी०) कोर्स के रेगुलेशन के इन्ट्रेन्स टेस्ट में प्रस्तावित संशोधनों।
- (च) सेमेस्टर सिस्टम अन्तर्गत मास्टर ऑफ लॉ डिग्री पाठ्यक्रम के ऑर्डिनेन्स तथा रेगुलेशन के प्रस्तावित संशोधन।
- (छ) सभी पाठ्यक्रमों (कोर्सज) की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तथा वर्ग में उपस्थिति के लिए प्रस्तावित रेगुलेशन।
- (ज) बी० एफ० ए० पाठ्यक्रम का संशोधित ऑर्डिनेन्स तथा रेगुलेशन में प्रस्तावित संशोधन।
- (झ) एम० एफ० ए० पाठ्यक्रम का ऑर्डिनेन्स तथा रेगुलेशन (सेमेस्टर सिस्टम में)।
- (ञ) पी० जी० डिप्लोमा इन एच० आर० डी० का सेमेस्टर सिस्टम अन्तर्गत ऑर्डिनेन्स तथा रेगुलेशन।
- (ट) राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पत्रांक बी० एस० यू० - 28/2008-2198/जी० एस० (1) दिनांक 30/06/2008 के द्वारा जेनरल कंडिशन ऑफ सर्विस ऑफ इम्प्लाइज ऑफ पटना, " से संबंधित परिनियम में प्राप्त संशोधन के क्लारुज (पी) 'पैटरनीटि लिम' के अन्तर्गत वर्तमान में लागू प्रोविजन में प्रस्तावित संशोधन।
- (ठ) बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस तथा मास्टर इन लाइब्रेरी सायंस पाठ्यक्रमों के ऑर्डिनेन्स के क्लारुज 5 में प्रस्तावित संशोधन।
- (ड) पटना विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय नियमावली के अनुमोदन हेतु।
- (न) डी० सी० आई० पत्रांक ए 71418 दिनांक 07/05/2010 के संदर्भ में एम० डी० एस० (प्रोस्थेटिक) का विषय नाम को परिवर्तित करके 'एम० डी० एस० में प्रोस्थोडानटिक्स एण्ड क्राऊन एण्ड ब्रीज' करने के सम्बन्ध में।
- (त) सभी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु स्वीकृत सीटों की बढ़ोतरी करते हुए 15 + स्वीकृत संख्या करने का प्रस्ताव।
- (थ) पी-एच० डी० पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र अधिसूचना, थेसिस जमा करने का प्राप्ति रसीद, प्रोभिजनल प्रमाण पत्र तथा एम० सी० ए० पाठ्यक्रम का डिग्री का फॉर्मेटो का।

11. निम्नलिखित पत्रों की सूचना सदस्यों को दीग गई

(For Information)

- (क) राज्यपाल सचिवालय, बिहार क पत्रांक बी० एस० यू० (रेगुलेशन)- 55/2014- 262/ जी० एस० (1) दिनांक 28/08/2015 के द्वारा प्राप्त यू० जी० सी०, नई दिल्ली के मापदंड (Guideline) के आलोक (In persuance) में आर्ट्स, सायंस एण्ड कॉमर्स फ़ैकल्टीज में एम० ए०/एम० एस-सी०/एम० कॉम० (सेमेस्टर सिस्टम) का यूनिफार्म ऑर्डिनेन्स एण्ड रेगुलेशन्स का इम्पीलीमेन्टेशन।

- (ख) राज्यपाल सचिवालय बिहार के पत्रांक बी० एस० यू० (रेगुलेशन)-18/2015-1320/जी०एस० (1) दिनांक 10/09/2015 के द्वारा प्राप्त, एन०सी०टी०ई० के मापदंड के आलोक में सत्र 2015-17 से 2 वर्षीय एम० एड० पाठ्यक्रम का जेनरल ऑर्डिनेन्स एण्ड रेगुलेशन का इम्पीलीमेंटेशन।
- (ग) राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पत्रांक बी० एस० यू० (रेगुलेशन)-16/2015-1283/जी०एस० (1) दिनांक 02/09/2015 के द्वारा प्राप्त एन०सी०टी०ई० के गाइडलाइन्स के आलोक (In Persuance) में सत्र 2015-17 से 2 - वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम का जेनरल ऑर्डिनेन्स तथा रेगुलेशन का इम्पीलीमेंटेशन।

(परिशिष्ट-6)

12. यदि कोई अन्य विषय हो, तो, अध्यक्ष के अनुमति है।
(Any other items with permission of the Chairman)

निर्णय लिया गया कि अनुषद की दिनांक 05.03.2016 को होने वाली बैठक की कार्य-सूची को अनुमोदित किया जाय।


यह भी निर्णय लिया गया कि :-

4. अभिषद के ओर से डॉ० आर० के० वर्मा, प्रतिकुलपति वर्ष 2016-17 के आय-व्यय को अनुषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।
Dr. R. K. Verma, Pro-Vice-Chancellor will present the Annual budget for the year 2016-17 on behalf of the Syndicate for the approval of Senate.
5. अभिषद की ओर से डा० डॉली सिन्हा, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन अनुषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगी।
Dr. Dolly Sinha, Dean, Students' Welfare will present the Annual Report for the year 2014-15 on behalf of the Syndicate for the approval of Senate.
6. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अद्यतन संशोधित की धारा 23 (1) (एच) के अन्तर्गत ऐसे चार शिक्षकों का एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार सिनेट के शिक्षक सदस्यों द्वारा सिन्डिकेट के लिए निर्वाचन।
Election of four teachers for the membership of Syndicate by the teachers member of the Senate according to the provision of Sec. 23(1)(h) of P.U. Act. 1976 (amended up to date).
7. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 23 (1) (आई) के अन्तर्गत ऐसे चार सिनेट के सदस्यों जो शिक्षक छात्र एवं कर्मचारी से भिन्न हो सिनेट के गैर शिक्षक सदस्यों द्वारा सिन्डिकेट के लिए निर्वाचन।
Election of four Non-teacher member other than teachers, employee and students of the University for the membership of Syndicate by the Non-teacher members of the Senate vide Sec. 23(1)(i) of P.U. Act. 1976 (amended up to date).
8. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 25 (जी) के अन्तर्गत दो शिक्षकों जो संकायाध्यक्ष, प्राचार्य या विभागाध्यक्ष न हो का विद्वत परिषद के लिए निर्वाचन।
Election of two teachers for the membership of Academic Council other than Dean, Professor and Head of the University departments by the members of the Senate under provision of Sec. 25(g) of P.U. Act. 1976 (amended up to date).


9. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 55 (1) के अन्तर्गत ऐसे चार सिनेट के सदस्यों को अभिषद् के सदस्य नहीं है, का वित्त समिति के लिए निर्वाचन।
Election of four members for the Finance Committee from amongst the members of Senate other than the members of Syndicate vide Sec. 55(1) of P.U. Act. 1976 (amended up to date).
10. अभिषद् की ओर से डा० अमर नाथ सिंह, अभिषद् सदस्य निम्नलिखित को अनुषद् की अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे।
Prof. (Dr.) Amar Nath Singh, Member of the Syndicate will present the following rules, ordinances and regulations of different examinations as translated in Hindi language on behalf of the Syndicate for the approval of the Senate.
- (क) प्री० पी-एच० डी० रजिस्ट्रेशन टेस्ट के लिए अनुमोदित रूल्स के क्लारुज "इलिजिविलिटि कण्डीशन" में प्रस्तावित संशोधन।
(ख) प्री० पी-एच० डी० रजिस्ट्रेशन टेस्ट के अनुमोदित रूल्स के क्लारुज "क्वालिफाइंग मार्क्स" में प्रस्तावित संशोधन।
(ग) पी० जी० डिप्लोमा इन इनटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स के ऑर्डिनेन्स, रेगुलेशन तथा प्रस्तावित संशोधन।
(घ) बी० बी० ए०, एल० एल० बी० का प्रस्तावित रेगुलेशन तथा ऑर्डिनेन्स।
(ङ) लॉ में एल एल० एम० (पी० जी०) कोर्स के रेगुलेशन के इन्ट्रेन्स टेस्ट में प्रस्तावित संशोधनों।
(च) सेमेस्टर सिस्टम अन्तर्गत मास्टर ऑफ लॉ डिग्री पाठ्यक्रम के ऑर्डिनेन्स तथा रेगुलेशन के प्रस्तावित संशोधन।
(छ) सभी पाठ्यक्रमों (कोर्सेज) की परीक्षाओं में भागिल होने के लिए तथा वर्ग में उपस्थिति के लिए प्रस्तावित रेगुलेशन।
(ज) बी० एफ० ए० पाठ्यक्रम का संशोधित ऑर्डिनेन्स तथा रेगुलेशन में प्रस्तावित संशोधन।
(झ) एम० एफ० ए० पाठ्यक्रम का ऑर्डिनेन्स तथा रेगुलेशन (सेमेस्टर सिस्टम में)।
(ञ) पी० जी० डिप्लोमा इन एच० आर० डी० का सेमेस्टर सिस्टम अन्तर्गत ऑर्डिनेन्स तथा रेगुलेशन।
(ट) राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पत्रांक बी० एस० यू० - 28/2008-2198/जी० एस० (1) दिनांक 30/06/2008 के द्वारा जेनरल कंडिशनस ऑफ सर्विस ऑफ इम्पलाइज ऑफ पटना, " से संबंधित परिनियम में प्राप्त संशोधन के क्लारुज (पी) 'पैटरनीटि लिम' के अन्तर्गत वर्तमान में लागू प्रोविजन में प्रस्तावित संशोधन।
(ठ) बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस तथा मास्टर इन लाइब्रेरी सायंस पाठ्यक्रमों के ऑर्डिनेन्स के क्लारुज 5 में प्रस्तावित संशोधन।
(ड) पटना विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय नियमावली के अनुमोदन हेतु।
(न) डी० सी० आई० पत्रांक ए 71418 दिनांक 07/05/2010 के संदर्भ में एम० डी० एस० (प्रोस्थेटिक) का विषय नाम को परिवर्तित करके 'एम० डी० एस० में प्रोस्थोडानटिक्स एण्ड क्राऊन एण्ड ब्रीज' करने के सम्बन्ध में।
(त) सभी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु स्वीकृत सीटों की बढ़ोतरी करते हुए 15 + स्वीकृत संख्या करने का प्रस्ताव।

(थ) पी-एच0 डी0 पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र अधिसूचना, थ्रेसिस जमा करने का प्राप्ति रसीद, प्रोभिजनल प्रमाण पत्र तथा एम0 सी0 ए0 पाठ्यक्रम का डिग्री का फॉर्मेटो का।

Approved


24.2.2016

(वाई0 सी0 सिन्हाद्रि)
कुलपति
पटना विश्वविद्यालय, पटना ।


24/02/2016

(संजय कुमार सिन्हा)
कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना ।